रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

सं. 304] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 1996/भाद्र 29, 1918
No. 304] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 1996/BHADRA 29, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1996

सा.का.नि. 433(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचिन पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कोचिन पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर.-12016/37/95-पी.ई. 1]
अ. कु. रस्तोगी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिसूचना 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एतद्द्वारा कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1978 में संशोधन के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन के शर्त पर निम्न विनियम बनाती है।

1. (i) इन विनियम का नाम कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम 1996 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कोचिन पोर्ट कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1978 में (इसके आगे उक्त विनियम से अभिप्रेत है) विनियम 5 में,

(i) खंड (क) के बाद निम्न उपबंध जोड़ दिया जाए, अर्थात् :—

"बशर्ते कि एक मिलिटरी अधिकारी जो स्थायी सिविल सेवा में नहीं है, सिविल दर के वेतन पाने योग्य चुन लिया जाये, इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार उनकी छुट्टी को नियमित किया जाएगा। आगे बशर्ते कि उनके सशत्र सेवा से मुक्त/हटा कर देने के संदर्भ में उनके हिसाब की वार्षिक छुट्टी, मुक्त/हटा की गई तारीख से होकर अग्रेनीत किया जायेगा"।

(ii) खंड (ख) के बाद निम्न उपबंध जोड़ दिया जाए, अर्थात् :—

"बशर्ते कि एक मिलिटरी अधिकारी के मामले में छुट्टी के दिनों के तुल्य अर्द्ध वेतन छुट्टी भी उनकी नियुक्ति की तारीख से लेकर के वार्षिक छुट्टी दिनों के तुल्य अर्जित छुट्टी के साथ अग्रेनित किया जाए, यह सशत्र सेवा छुट्टी नियम के अधीन अनुज्ञेय है।

3. उक्त विनियम में विनियम 11 के उपनियम (3) के खंड (ग) को काट दिया जाए।

उक्त विनियमों में विनियम 14 के साथ निम्न टिप्पणी को जोड दिया जाए।

नोट : निवृत्तिपूर्व छुट्टी के मामले में या विनियम 31 के अधीन जहां उसके हिसाब में जमा छुट्टी के स्थान पर नकद राशि की अदायगी हो, यदि दी गई राशि अधिक हो गयी तो, छुट्टी वेतन की वसूली करने के लिए कर्मचारी से एक आश्वासन प्राप्त किया जाए।

4. उक्त विनियम में :

क. विनियम 24, 30 एवं 31 में '180' आँकड़े जहां प्राप्य हो, वहां '240' आँकड़े प्रतिस्थापित किए जायें ।

ख. विनियम 31 के उप विनियम (6) में खंड (क) के उप खंड (ii) में आँकड़े तथा शब्द '90 दिन' के स्थान पर '120 दिन' आँकड़े तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जायें ।

ग. विनियम 24 में 24 के उप विनियम (2) में तथा विनियम 31 के खंड 4(क) (1) में '120' आँकड़े जहाँ प्राप्य हों वहां '180' आँकड़े प्रतिस्थापित किए जायें ।

5. उक्त विभियम के विनियम 24 में उप विनियम (1) के खंड (6) के बाद निम्न उपबंध जोड़ दिया जाये अर्थात् :—

बशर्ते कि एक कर्मचारी के हिसाब की अर्जित छुट्टी दिसंबर या जून महीने के अंत में 240 दिन या उससे कम हो, लेकिन 225 दिन से ज्यादा हो, जनवरी 1 या जुलाई 1 में हिसाब में आने वाले 15 दिन की आर्जित छुट्टी खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट प्रकार छुट्टी हिसाब में जमा करने के बदले अलग रखा जाये तथा कर्मचारी उस अर्ध वर्ष में ली गई छुट्टी को समायोजित किया जाये, तथा शेष छुट्टी का अर्थ वर्ष के अन्त में जमा किया जाये इस शर्त पर कि अर्जित छुट्टी के शेष छुट्टी के साथ हिसाब की छुट्टी जोड़ने से अधिकतम सीमा 240 दिन से ज्यादा न हो जाये ।

6. उक्त विनियम में विनियम 25 के लिए निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"25". **अर्ध वेतन छुट्टी :**

1. एक कर्मचारी का अर्ध वेतन छुट्टी हर एक कलैन्डर वर्ष के जनवरी एवं जुलाई के प्रथम दिनों में दस दिनों के दो किस्तों में अग्रिम के रूप में क्रेडिट किया जाएगा ।

2. (क) सेवा में नियुक्त हुए कलैन्डर वर्ष के अर्ध वर्ष में एक कर्मचारी को अपनी सेवा पूर्ण किये गये हर एक कलैन्डर महीने के लिए 5/3 दिनों के दर पर उक्त छुट्टी खाते में छुट्टी क्रेडिट किया जाएगा ।

(ख) एक कर्मचारी सेवानिवृत्त या इस्तीफा किये जाने वाले अर्ध वर्ष के लिए पूर्ण किये गये हर एक कलैन्डर महीने के लिए 5/3 दिनों के दर के अनुसार सेवानिवृत्ति या इस्तीफा की तारीख तक क्रेडिट किया जाएगा ।

(ग) जब एक कर्मचारी सेवा से निष्कासित/पदच्युत होता है या सेवा में रहते समय मर जाता है, वह सेवा से निष्कासित/पदच्युत या सेवा में रहते समय मृत्यु हुए कलैन्डर महीने के पूर्ववर्ती कलैन्डर महीने के अन्त तक, हर एक पूरे महीने के लिए 5/3 दिनों के दर पर अर्ध वेतन छुट्टी अनुमोदित किया जाएगा ।

(घ) एक अर्ध वर्ष में जब एक कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलम्बन "छूट दिवस" के रूप में माना जाता है, अगले अर्ध वर्ष की शुरूआत में उसके अर्ध वेतन छुट्टी में प्रदान किये जाने का क्रेडिट, अधिकतम दस दिनों के अवधि के आधार पर "छूट दिवस" की अवधि एक-अठारहवीं के रूप में कम किया जाएगा ।

3. चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी मामले के आधार पर इस विनियम के अन्तर्गत छुट्टी दी जाएगी ।

4. अर्ध वेतन छुट्टी क्रेडिट में प्रदान करते समय एक दिवस का अंश निकटतम दिवस में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि एक कर्मचारी, जिसको स्थायी नियुक्ति नहीं मिला है, को, यही विश्वास के आधार पर की छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को विश्वास होगा कि इसकी समाप्ति पर कर्मचारी ड्यूटी के लिए आयोग इस छूट में कि एक चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए एक कर्मचारी स्थिर रूप से असमर्थ घोषित किया हो इसके बिना कोई अर्ध वेतन छुट्टी नहीं दी जाएगी ।

7. उक्त विनियमों के विनियम 27 में उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी संग्रहित करना, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 360 दिनों तक सीमित अनियत छुट्टी स्थिर रूप से नियुक्त एक कर्मचारी को दिया जाएगा" ।

(2) उप-विनियम (1) के नीचे खण्ड (ग) काट दिया जाएगा ओर खण्ड (घ), (ग) के रूप में पुन: अंकित किया जाएगा ।

(3) निम्नलिखित उप-विनियम (1)(क) अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1-क) समस्त सेवाकाल के दौरान 360 दिनों तक की अवधि के लिए, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कैन्सर या मानसिक रोग से पीड़ित अस्थायी कर्मचारियों को भी अनियत छुट्टी दिया जाए जो कि उप विनियम (1) के खण्ड (क) से (ग) तक के शर्तों की पूर्ति के अनुसार तथा निम्नलिखित और शर्तों के भी अनुसार, अर्थात् :—

(i) कर्मचारी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण किया हो;

(ii) जिस पद से कर्मचारी छुट्टी पर निकला हो ओर वही पद उसके छुट्टी खत्म करके पदभार ग्रहण करने तक होने की संभाव्यता हो, और

(iii) ऐसी छुट्टी का अनुरोध, विनियम 28 के उप-विनियम (2) के खण्ड (iii) में निर्धारित के अनुसार एक चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया हो ।

8 क. उप विनियम (3) काट दिया जाए ।

उक्त विनियम के विनियम 28 में :

(1) उपविनियम 2 में लाइन 2 में प्रकट शब्द "या स्थायिवत् नियुक्ति" काट दिया जाए ।

(2) उप-विनियम (2) के खण्ड (1) में ये शब्द 'चिकित्सा प्रमाणपत्र' के बिना काट दिया जाए ।

(3) उप-विनियम (2) के खण्ड (ii) एवं (iii) निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

(ii) इन विनियमों की अनिवार्यता के अनुसार कर्मचारी की छुट्टी का अनुरोध एक चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित हो और खण्ड (i) के अन्तर्गत तीन महीने की असाधारण छुट्टी सहित हो और इन विनियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नियत छुट्टी की समाप्ति पर कर्मचारी एक वर्ष की निरन्तर सेवा समाप्त की हो तो छ: महीने के लिए :

(iii) एक वर्ष की निरन्तर सेवा समाप्त किये गये कर्मचारी अठारह महीने के लिए जो निम्नलिखित चिकित्सा जारी कर रहा है ।

ख. उप विनियम (2) के खण्ड (iii) के उप-विनियम (2) के खण्ड के उप-खण्ड (क) में शब्द 'या' काट दिया जाए और उप-खण्ड के नीचे निम्नलिखित नोट अंत:स्थापित किया जाए;

''नोट : फुप्फुसीय क्षयरोग या क्षयरोग उत्पत्ति के उरोग्रह से पीड़ित एक कर्मचारी जो उक्त राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्य क्षयरोग विशेषज्ञ के अधीन अपने आवास स्थल में चिकित्सा प्राप्त कर रही है और उस विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र उपलब्ध किया जाता है जो कि वह उनके अधीन चिकित्सा पर है और सिफारिश की गई छुट्टी की समाप्ति पर स्वस्थ होने की पर्याप्त अवसर है तो वह 18 महीने तक की असाधारण छुट्टी की रियायत के लिए हकदार है ।

ग. उप विनियम (2) के खण्ड (iv) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(iv) खण्ड (1) के अन्तर्गत तीन महीने की असाधारण छुट्टी सहित, इन विनियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य नियत छुट्टी की समाप्ति पर कर्मचारी तीन वर्ष की लगातार सेवा समाप्त की है तो बोर्ड के हितों के अनुसार अध्ययन निष्पादित करने के उद्देश्य के लिए छुट्टी अनिवार्य होने पर 24 महीने'' ।

9. उक्त विनियम के विनियम 8 में उप विनियम (2) के नीचे निम्नलिखित उप विनियम अन्त:स्थापित किया जाए और वर्तमान उप विनियम (3) एवं (4) उप विनियम 4 एवं 5 के रूप में पुन:अंकित किये जाए ।

''(क) उप विनियम (2) के खण्ड (iv)में निर्धारित उपबन्धों की छूट पर जब एक कर्मचारी को असाधारण छुट्टी दी जाती है तब वह प्रतीक्षा फार्म 10 में एक बंधपत्र निष्पादित करने की अनिवार्यता है जो कि ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर वह ड्यूटी में वापस नहींआने पर या ड्यूटी में आने के बाद तीन वर्ष के पहले सेवा छोड़ने पर ऐसी छुट्टी के दौरान बोर्ड द्वारा खर्च किये गये व्यय का वास्तविक रकम ब्याज सहित कोई अन्य एजेन्सी द्वारा किये गये खर्च के साथ दिया जाएगा ।

(ख) कर्मचारी से समतुल्य या उससे अधिक हैसियत रखने वाले हो दो स्थायी कर्मचारियों द्वारा जमानत के रूप में बंधपत्र की पुष्टि किया जाए ।

उक्त विनियमों में विनियम 30 के उप विनियम (1) में ये शब्द ''पूर्ववर्ती दिन'' काट दिया जाए ।

10. उक्त विनियमों के विनियम 31 में,

(1) उप विनियम (2) (क) में छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन के तुल्य नकद शब्द के लिए 'अर्जित छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन के तुल्य नकद ' प्रतिस्थापित किया जाय ।

(2) उप विनियम (2) के खण्ड में तथा उप विनियम (5) के अंत में 'मकान किराये भत्ते या नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी नहीं दी जाएगी' जोड़ दिया जाय ।

(3) उप विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:-

(3) सेवा निवृत्ति की आयु वाले कर्मचारी सेवा निलंबन के अधीन या अनुशासनिक या दंडनीय कार्यवाही जब एक कर्मचारी के विरुद्ध चल रहा हो, और वह कर्मचारी सेवामुक्ति के समय आने पर सेवा मुक्त हो जाता है, उस समय छुट्टी मंजूर करने योग्य सक्षम प्राधिकारी पूरा या आंशिक नकद जो अर्जित नकद जो अर्जित छुट्टी के समतुल्य हो स्थगित रखा जा सकता है और ऐसी प्राधिकारी की राय में कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही खत्म होते ही उससे कुछ रकम वसूल करने की संभावना है और यह कर्मचारी बोर्ड को किसी रकम देना है तो रोक लिया गया रकम से देय राशि को समायोजन करने के बाद शेष पाने को हकदार होगी ।

4. उप विनियम (5) के नीचे दूसरा उपबन्ध काट किया जाए ।

5. उप विनियम (5) के नीचे निम्नलिखित उप विनियम (5-क) अंत:स्थापित किया जाए ।

''(5-क) कोचिन पोर्ट कर्मचारी (सी. सी. ए. एवं ए) विनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दण्ड के रूप में जब एक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करना पड़ता है और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 40 के अधीन अपने पेन्शन (अनुदान सहित) के रकम में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई कमी नहीं आरोपित किया जाता है तो, उप विनियम (2) के खण्ड (ख) में सूचित रीति के अनुसार अधिकतम 240 दिनों के रूम में, ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख पर कर्मचारी के जमा में होने वाले अर्जित छुट्टी, यदि कोई हो, के लिए छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद देने के लिए, छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छा से आदेश जारी किया जाए ।

6. उप विनियम 6(क) के खंड (3) में, सेवानिवृत्ति के समय भुनाने की अनुमति जो दिया उस समय को भी जोड़कर शब्द अंत में जोड़ दिया जाय ।

7. उप विनियम (6) के खण्ड (ख) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(ख) उप विनियम (2) के खण्ड(ख) में सूचित प्रकार खण्ड (क) के अधीन अदा करने की तुल्य राशि की गणना की जाएगी तथा खण्ड (क) के उप खण्ड (iii) के अनुसार तुल्य राशि के संगणन के उद्देश्य के लिए पुन: नियुक्ति की समाप्ति के दिन का वेतन, पेंशन तथा पेंशन तुल्य अन्य सेवानिवृत्ति लाभ तथा उस वेतन के मंहगाई भत्ते को समायोजित करने से पहले पुन: नियुक्ति पद के वेतनमान में तय किया जाएगा''

11. उक्त विनियम में विनियम 31-क के शीर्षक के रूप में निम्न -लिखित जोड़ दिया जाय ।

31.क. **अमान्यीकरण के मामले में छुट्टी वेतन के तुल्य नकद**

12. उक्त विनियम में विनियम 32 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"32. **सेवा में रहते समय दिवंगत मामले में छुट्टी वेतन के तुल्य नकद**

सेवा में रहते समय दिवंगत कर्मचारी की मामले में छुट्टी वेतन के तुल्य नकद जो दिवंगत कर्मचारी को प्राप्त होने वाले हैं, उसके हिसाब में देय तथा स्वीकार्य अर्जित छुट्टी हो आएगा लेकिन मृत्यु के तुरन्त बाद के दिन या जो भी मामला हो, 240 दिन तक की छुट्टी वेतन उनके परिवार को विनियम 32-क में निर्दिष्ट प्रकार पेन्शन तुल्य मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान में कोई कटौति के बिना दी जाएगी ।

32 क. **एक कर्मचारी के मामले में छुट्टी के वेतन तुल्य नकद की अदायगी**

सेवा में निरत कर्मचारी की मृत्यु पर या सेवा निवृत्ति के बाद या सेवा का अंतिम भाग में छुट्टी के वेतन तुल्य नकद प्राप्त करने से पहले, विनियम 31, 31क तथा 32 के अनुसार नकद प्राप्त किया जाएगा —

(i) मृत कर्मचारी पुरुष है तो उनकी विधवा को, यदि एक से अधिक पत्नी है तो जीवित रहते सबसे ज्येष्ठ पत्नी को, यदि मृत कर्मचारी स्त्री है तो पति को ।

स्पष्टीकरण :

(i) जीवित ज्येष्ठ विधवा से तात्पर्य है जीवित रहते पत्नियों में विवाह की तिथि की वरीयता, इसके अलावा आयु की अधिकता नहीं,

(ii) विधवा या पति के अभाव में मामला के अनुसार जीवित रहते ज्येष्ठ पुत्र या दत्त पुत्र को,

(iii) उक्त (i), एवं (ii) के अभाव में जीवित रहते सबसे ज्येष्ठ अविवाहित पुत्री को,

(iv) उक्त (i) से (iii) तक के अभाव में जीवित रहते सबसे ज्येष्ठ विधवा पुत्री को,

(v) उक्त (i) से (iv) के अभाव में पिता को,

(vi) उक्त i से (v) के अभाव में माता को,

(vii) उपर्युक्त (i) से (vi) तक न होने पर, 18 वर्ष की आयु से कम जीवित ज्येष्ठ भाई को;

(viii) उपर्युक्त (i) से (vii) तक न होने पर, जीवित ज्येष्ठ बहन को, और

(ix) उपर्युक्त न होने पर, जीवित ज्येष्ठ विधवा बहन को ।

यदि उपर्युक्त कोई दावेदार पर्याप्त नहीं है तो, छुट्टी का समतुल्य नकद जीवित ज्येष्ठ विवाहित पुत्री को दिया जाए और ऐसा न होने पर मृत कर्मचारी के पूर्वी-मृत पुत्र के जयेष्ठ बच्चे को दिया जाए ।

13. उक्त विनियमों के विनियम 33

(1) के उप-विनियम 31 के उप विनियम (5) में, ये शब्द 'या विनियम 31 के उप विनियम (6) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत समतुल्य नकद दिया जाता है' काट दिया जाए ।

(2) उप विनियम (5) के नीचे का नोट काट दिया जाए ।

(3) उप विनियम (6) के रूप में निम्नलिखित उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाए ।

"(6) (क) यदि एक कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है या इस्तीफा देता है, ली गई छुट्टी क्रेडिट में होने वाले नियत छुट्टी अधिक है तो ज्यादा निकाले गये छुट्टी वेतन, यदि कोई हो, के संबंध में अनिवार्य समायोजन किया जाय ।

(ख) सेवा से पदच्युत या निष्कासित या सेवा में रहते समय दिवंगत कर्मचारी द्वारा ली गई अर्जित छुट्टी की मात्रा, विनियम 24 के उप विनियम 4 में खण्ड (ii) (ख) के अन्तर्गत क्रेडिट में होने वाली छुट्टी से अधिक है तो ऐसी मामलों में छुट्टी वेतन का अधिक भुगतान वसूल किया जाय ।

14. उक्त विनियमों में विनियम 35 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"35. **छुट्टी वेतन का अग्रिम :—**

एक कर्मचारी विदेशी सेवा में रहने वाले कर्मचारी भी हो सकता है, कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी जारी कर रहा है तो, निम्न शर्तों के आधार पर, आय कर, भविष्य निधि, गृह किराया पेशगियों की वसूली आदि के नाते कटौतियों के अनुसार छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य एक महीने तक के वेतन एवं भत्तायें छुट्टी वेतन के बदले में अग्रिम के रूप में दिया जाए;

(i) अग्रिम का रकम आय कर भविष्य निधि, गृह किराया, पेशागियों की वसूली आदि के नाते कटौतियों के आधार पर प्रथम महीने की छुट्टी वेतन के लिए जो शुद्ध रूप से स्वीकार्य है, छुट्टी वेतन के निबल रकम से नियंत्रित किया जाए जो कि इसमें कोई वित्तीय जोखिम नहीं होगा;

(ii) ली गई छुट्टी के संबंध में छुट्टी वेतन बिल में अग्रिम पूर्ण रूप से समायोजित किया जाए । इसी प्रकार अग्रिम पूर्ण रूप से समायोजित कर न सके तो इसका शेष अगले वेतन भुगतान से या छुट्टी वेतन से वसूल किया जाएगा ;

(iii) अग्रिम के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या कार्यालय के मुख्य द्वारा अनुमति दी जाए ;

(iv) एक अस्थायी कर्मचारी के संबंध में अग्रिम एक स्थायी कर्मचारी के बन्ध पत्र द्वारा अनुमोदित किया जाए ;

(v) अग्रिम का रकम, कर्मचारी का वेतन आदि किये गये लेखा-शीर्ष में नामे डाल दिया जाए ।

15. उक्त विनियम में विनियम 36 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाय ।

36. **प्रसूति छुट्टी**

(1) स्त्री कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) की मामले में जीवित रहते 2 बच्चों से कम हो तो छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिनों की अवधि की प्रसूति छुट्टी दी जा सकती है ।

(2) इस प्रकार की अवधि के समय में छुट्टी लेने से पहले जो वेतन मिलता था वही छुट्टी के समय में भी दी जायगी ।

(3) क. गर्भपात, भ्रूणहत्या सहित मामलों में स्त्री कर्मचारियों को 45 दिनों की प्रसूति छुट्टी (जीवित रहते बच्चों की संख्या को देखे बिना) विनियम 16 एवं 17 के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से तथा डाक्टरी रीति से गर्भ को निकालने के अधिनियम 1971 के अनुसार की भ्रूणहत्या की मामलों में सेवा अवधि में दी जाएगी ।

(3) ख. गर्भपात, भ्रूणहत्या के लिए छुट्टी दिनों की गणना करते समय, इस अधिसूचना के पहले ली गयी प्रसूती छुट्टी की गणना नहीं की जाएगी ।

(4) क. किसी भी तरह की छुट्टी के साथ प्रसूती छुट्टी को मिला दिया जाये ।

(4) ख. विनियम 27 के उप विनियम 1 या विनियम 28 के उप विनियम 1 के अनुसार चिकित्सा प्रमाणपत्र की जरूरत होते हुए भी अपने हिसाब में देय तथा स्वीकार्य छुट्टी (60 दिन की परिवर्तित छुट्टी सहित) तथा छुट्टी क्रेडिट में नहीं तो उप विनियम (1) के अनुसार प्रसूती के साथ एक साल तक की छुट्टी भी आवेदन देने से प्राप्त किया जाए ।

5. प्रसूती छुट्टी का छुट्टी लेखे में डेबिट नहीं किया जाएगा ।

16. विनियम 36 के नीचे विनियम 36 (क) जोड़ दिया जाए ।

''36 (क) **बच्चे को दत्त लेने पर स्त्री कर्मचारियों को छुट्टी**

एक स्त्री कर्मचारी को एक बच्चे को दत्त लेते समय अपने हिसाब में देय तथा स्वीकार्य (चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रस्तुती के बिना 60 दिन की परिवर्तित छुट्टी तथा छुट्टी देय नहीं तो निम्न शर्त पर एक साल तक की छुट्टी मंजूर की जाएगी) ।

(i) दत्त लेते समय दत्तक माता को 2 जीवित बच्चे है तो यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी :

(ii) किसी भी तरह की छुट्टी देय हो तथा स्वीकार्य हो, छुट्टी की अवधि अधिकतम निम्न प्रकार नियमित की जाएगी ।

क. दत्त लेने वाले बच्चे की आयु एक महीने से कम हो, एक साल तक की छुट्टी दी जाएगी ।

ख. यदि दत्त लेने वाले बच्चे की आयु 6 महीने या उससे अधिक हो तो 6 महीने तक की छुट्टी दी जाएगी।

ग. यदि बच्चे की आयु 9 महीने या उससे अधिक हो 3 महीने तक की छुट्टी दी जाएगी ।

17. उक्त विनियमों में विनियम 41 के उप विनियम (5) के लिए निम्नलिखित उप- विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''5. एक कर्मचारी के लिए अध्ययन छुट्टी मंजूर की जाएगी :—

(i) जो परिवीक्षा की अवधि संतोषप्रद पूरी की हो तथा बोर्ड के अधीन कम से कम 5 साल की नियमित सेवा, परिवीक्षा की अवधि सहित पूरी की हो,

(ii) छुट्टी लेने के बाद ड्यूटी में वापस आते समय बोर्ड की सेवा से 3 साल के अन्दर सेवानिवर्तन की आयु में न पहुंचने वालों को,

(iii) विनियम 45(2) के अधीन एक बॉंड प्रस्तुत किया जाए कि छुट्टी की समाप्ति के बाद 3 साल तक बोर्ड की सेवा की जाएगी ।

18. उक्त विनियमों में विनियम 42 में खंड (क) के उप विनियम 1 में 'विशिष्ट कारणों की रक्षा से अधिक न हो' शब्द काट दिया जाए ।

19. उक्त विनियमों में विनियम 48 में उप विनियम (2), में उप-विनियम (1) एवं खंड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :—

(1) ''भारत के बाहर अध्ययन के लिए छुट्टी लेते समय एक कर्मचारी को बोर्ड में ड्यूटी में रहते समय छुट्टी लेने के पहले प्राप्त वेतन के तुल्य छुट्टी का वेतन, विनियम 49 से 52 तक के उपबंध के अनुसार की मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अध्ययन भत्ता के अलावा दिया जाएगा ।

(2) (क) भारत में पढ़ने के लिए अध्ययन छुट्टी लेने वाले कर्मचारी को बोर्ड में ड्यूटी में रहते समय छुट्टी लेने के पहले प्राप्त वेतन के तुल्य छुट्टी का वेतन, विनियम 52 के उपबंध के अनुसार की महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता के अलावा दिया जाएगा ।

20. उक्त विनियमों में विनियम 52 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए :—

''52. **अध्ययन भत्ता के अलावा भत्ते की स्वीकार्यता**

(1) प्रथम 180 दिन के अध्ययन छुट्टी के लिए मकान भत्ता जिस स्टेशन से कर्मचारी अध्ययन के लिए गया, उस स्टेशन से समय पर स्वीकार्य दर दिया जाएगा । 180 दिन से ज्यादा दिन के मकान किराया भत्ते के लिए वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. 2(37)-ई 11(ख)64, दि. 27-11-1965 के पैरा 8(घ) में निर्धारित प्रकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए ।

(2) उप-विनियम (1) के अन्तर्गत स्वीकार्य गृह किराया भत्ता और महंगाई भत्ता और अध्ययन भत्ता जो स्वीकार्य है, के अलावा एक कर्मचारी को दी गई अध्ययम छुट्टी की अवधि में अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाए ।

21. उक्त विनियमों में फार्म 2 के नीचे की टिप्पणी 2 एवं 3 में ''एक दिन का अंश एक दिन के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा ये शब्दों के लिए दिन का अंश समीपतम दिन में पूर्णांकित किया जाएगा'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

22. उक्त विनियमों में, ''या अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर'' ये शब्दों के बाद फार्म 6, 7, 8 एवं 9 में ''या अध्ययन पाठयक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका तो'' ये शब्द अंतस्थापित किया जाए ।

23. उक्त विनियमों के विनियम 55 में,

(1) उप-विनियम (1) के शीर्षक के लिए ''अध्ययन छुट्टी'' के बाद ''या पाठ्यक्रम की आपूर्ति'' ये शब्द अंतस्थापित किया जाए और उप-विनियम (1) के लिए, खण्ड (i) एवं खण्ड (ii) को छोड़कर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1) अध्ययन छुट्टी की अवधि के बाद ड्यूटी में नहीं वापस आकर यदि एक कर्मचारी इस्तीफा कर देता है या सेवा निवृत होता है, सेवा छोड़ देता है या ड्यूटी में आने के बाद

तीन वर्षों के अन्दर या अध्ययन पाठयक्रम पूर्ण नहीं किया जा सका और इसलिए विनियम 45 के उप-विनियम 3 के अन्तर्गत अनिवार्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं किया जा सका तो वह यह वापस देना है;

2. उप-विनियम (1) के नीचे का उपबन्ध निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"बशर्ते कि पाठयक्रम पूर्ण करने में असफल हुए कर्मचारियों को छोड़कर अन्य मामलों में यह विनियम नहीं लागू हो जाएगा :—

(क) एक कर्मचारी, जो अध्ययन छुट्टी से ड्यूटी में वापस आता है, को चिकित्सा तौर पर सेवा से निवृत्त होने के लिए अनुमति है, या

(ख) एक कर्मचारी, जो अध्ययन छुट्टी से ड्यूटी में आने के बाद भारत सरकार की सेवा के लिए या कोई कानूनी या स्वायत्त निकाय या सरकारी नियंत्रण में होने वाले संस्थापन में नियुक्त किया जाता है और तदनन्तर भारत सरकार या कानूनी या स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक हित की संस्थापना के अन्तर्गत स्थायी आमेलन की दृष्टि से बोर्ड के अधीन सेवा से इस्तीफा करने की अनुमति दी जाती है"।

[फा. सं. पी. आर.-12016/37/95-पी.ई. 1]

अ. कु. रस्तोगी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—दि.10.2.79 के जी. एस. आर. सं. 217 द्वारा राजपत्र में मुख्य विनियमों का प्रकाशन हुआ था और तदनुसार नीचे के अनुसार संशोधित हुआ—

1. दि. 26-12-86 के जी.एस.आर. सं. 129 (ई)।
2. दि. 17-2-93 के जी.एस.आर. सं. 75 (ई)।

फार्म—10

[विनियम 28(3) देखें]

अध्ययन के विनियम 28(2)(iv) में शिथिलीकरण करके असाधारण छुट्टी देने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए बंधपत्र

इसके द्वारा सभी को यह बताया जाता है कि हम .... जिला में ....के निवासी हैं, वर्तमान में .... विभाग/कार्यालय में नियुक्त हैं (इसके बाद आभारी कहा जाएगा) तथा ....के.................पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/कुमारी............. एवं ....के........... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/कुमारी.............(इसके बाद जामी कहलाएंगे) एतद्द्वारा संयुक्त एवं एक-एक करके हमको एवं हमारे संबंधित वारिसों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड (इसके बाद बोर्ड कहलाएगा) मांगने पर रु....... की राशि (केवल.........रुपये) पूछने की तारीख से बोर्ड द्वारा मंजूर ऋणों पर उस समय लागू हुआ बोर्ड द्वारा विहित दरों के अनुसार ब्याज के साथ या यदि भारत के अलावा अन्य देश में भुगतान हुआ है तो उस देश की मुद्रा समान राशि जो भारत और उस देश के बीच सरकारी विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तन की गयी है तथा अटार्नी एवं सेवार्थी के बीच सभी व्ययों के साथ बोर्ड द्वारा खर्च किए या होने वाले व्ययों एवं सभी प्रभारों का भुगतान करने का जिम्मेदार करते हैं/करता हूँ।

जबकि बोर्ड उक्त बाध्य श्री/श्रीमती/कुमारी....................... जो........... के पद पर नियुक्त है,के अनुरोध पर नियमित छुट्टी के साथ ही साथ असाधारण छुट्टी जो वेतन एवं भत्ते के अलावा .... महीने .... दिन के अवधि के लिए दि......... से ....में उसके/उसकी अध्ययन के लिए मंजूर की जाती है ।

तथा जबकि श्री/श्रीमती/कुमारी .... की असाधारण छुट्टी की अवधि में .... के कार्यभार संभालने के लिए ....की अनुपस्थिति में एक एवजी को बोर्ड नियुक्त किया है/करता है ।

तथा जब कि बोर्ड के उचित संरक्षण के लिए आभारी इस बंधपत्र का, दो जामिनों के साथ इसके नीचे लिखित शर्तों के अनुसार निष्पादन करने के लिए सहमत हुआ है ।

तथा जब कि उक्त जामिनों बाद्ध की ओर से इस बंधपत्र निष्पादन करने के लिए मान लिए हैं ।

उपर्युक्त दायित्व का वर्तमान शर्त यह है कि उक्त मामले में असाधारण छुट्टी की अवधि की समाप्ति पर श्री/श्रीमती/कुमारी ....उसी पद पर भर्ती नहीं हुई तथा पुन: नियुक्ति के ....साल से अधिक की अवधि के लिए बोर्ड की सेवा की जाए, नियमानुसार वह जो वेतन प्राप्त करता है, बोर्ड की आवश्यकतानुसार बोर्ड की सेवा के लिए स्वीकार या अस्वीकार किया जाए, उक्त श्री ....उनके निष्पादन तथा प्रशासक बोर्ड द्वारा निदेश किए जाने के अनुसार मांगते हुए उक्त राशि ....एवं बोर्ड द्वारा मंजूर ऋणों पर बोर्ड द्वारा विहित दरों के अनुसार मांग की तारीख से उस राशि पर ब्याज के साथ तुरंत भुगतान करेंगे ।

तथा आभारी श्री/श्रीमती/कुमारी.................एवं या जामिन श्री/श्रीमती/कुमारी.............ऐसे भुगत श्री/श्रीमती/कुमारी .... ऐसे भुगतान करने पर उक्त लिखित दायित्व शून्य होगा तथा कोई प्रभाव न होगा अन्यथा वह रहेगा तथा लागू में होगा ।

बशर्ते कि हमें इसके अधीन की जामिनों की देयता मंजूर की गई समय के अन्दर किसी कारणवश चूक किया गया तो, नहीं तो बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कृताकृत में कोई स्थगन हुआ तो (जामिनों की सहमति या जानकारी के साथ या बिना) बोर्ड को इसके अधीन देय राशि के लिए जामिनों श्री/श्रीमती/कुमारी.............के नाम पर मुकदमा चलाने के लिए पहले आभारी श्री/श्रीमती/कुमारी ....के नाम पर यदि आवश्यक है तो मुकदमा चला सकते हैं ।

समय पर लागू होने वाले भारतीय विधि द्वारा बंधपत्र नियंत्रित किया जाएगा तथा उसके अंतर्गत हक एवं दायित्व भारतीय न्यायालयों द्वारा जहां आवश्यक है पदनुसार निर्णय किया जाएगा ।

हस्ताक्षरित एवं तारीख.............एक हजार नौ सौ एवं.........

उक्त नाम श्री/श्रीमती/कुमारी के आभारी द्वारा निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं वितरित:

1.

2.

उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी नाम के जामीन द्वारा निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं वितरित:

1.

2.

उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी के नाम जामीन द्वारा निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित एवं वितरित:

1.

2.

स्वीकृत

बोर्ड की ओर से एवं उसके लिए,

कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 1996

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Employees (Leave) Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulation shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Cochin Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the C.P.E. (Leave) Regulations, 1978, subject to the approval of the Central Government.

1. (i) These Regulations may be called the Cochin Port Employees (Leave) Amendment Regulations, 1996.

(ii) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2 In Regulations 5 of the Cochin Port Employees (Leave) Regulations, 1978, (hereinafter referred to as the said Regulations).

(i) After clause (a), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that where a military officer not in permanent Civil employ has elected to draw civil rates of pay, his leave shall be regulated as per the provisions under these regulations :

Provided further that in the event of his release/discharge from the Armed Forces, he shall carry forward the annual leave due to him with effect from the date of such release/discharge."

(ii) after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in the case of a military officer half pay leave equal to the number of days of furlough shall also be carried forward in addition to the earned leave equal to the number of the days of annual leave on the date he is so appointed, it would be permissible to grant him under the leave rules of the Armed forces."

3. In the said Regulations, clause (c) of sub-regulation (3) of Regulation 11 shall be deleted.

In the said Regulations, in Regulation 14 the following note shall be inserted, namely :

NOTE : In the case of leave preparatory to retirement or where cash payment in lieu of leave at credit is granted under Regulation 31 an undertaking for recovery of the leave salary, if any paid in excess, shall be taken from the employee.

4. In the said Regulations :

(a) In Regulations 24, 30 and 31, for the figures "180", wherever they occur, the figures "240" shall be substituted.

(b) In Regulation 31, in sub-regulation (6), in Clause (a) in Sub-Clause (ii), for the figures and words "90 days", the figures and words "120 days" shall be substituted.

(c) In Regulation 24 in Sub-Regulation (2) and clause 4(a)(i) of Regulation 31 for the Figures "120" wherever they occur, the figures "180" shall be substituted.

5. In the said Regulations, in Regulation 24, after Clause (c) of Sub-regulation (i), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the earned leave at the credit of employee as on the last day of December or June is 240 days or less but more than 225 days, the advance credit of 15 days earned leave on first day of January or July to be afforded in the manner indicated under Clause (b) shall instead of being credited in leave account be kept separately and first adjusted against the earned leave that the employee takes during that half year and the balance, if any, shall be credited to the leave account at the close of the half-year, subject to the condition that balance of such earned leave plus leave, already at credit do not exceed the maximum limit of 240 days."

6. In the said Regulations, for Regulations 25 the following Regulation shall be substituted, namely :—

"25 **Half Pay Leave**

(1) The half pay leave account of an employee shall be credited with half-pay leave in advance, in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.

(2) (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed

calendar month of service which he is likely to render in the half-year of the calendar year in which he is appointed.

(b) The credit for the half-year in which an employee is due to retire or resigns from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month, upto the date of retirement or resignation.

(c) When an employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of half pay leave shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month upto the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed/dismissed from service or dies in service.

(d) Where a period of absence or suspension of an employee has been treated as "dies non" in a half-year, the credit to be afforded to his half pay leave account at the commencement of next half year, shall be reduced by one-eighteenth of the period of "dies-non" subject to a maximum of ten days.

(3) The leave under this regulation may be granted on medical certificate or on private affairs.

(4) While affording credit of half-pay leave, fraction of a day shall be rounded off to the nearest day. Provided that in the case of an employee not in permanent employ, no half pay leave shall be granted unless the authority competent to grant Leave has reasons to believe that the employee will return to duty on its expiry except in the case of an employee who has been declared completely and permanently incapacitated for further service by a medical authority."

7. In the said Regulations, in Regulation 27, for Sub-Regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) Save in the case of leave preparatory to retirement, leave not due may be granted to an employee in permanent employ limited to a maximum of 360 days during the entire service on medical certificate subject to the following conditions :—"

(2) Clause (c), below sub-regulation (1) shall be deleted and clause (d) shall be renumbered as (c).

(3) The following sub-regulation (1-A) shall be inserted, namely :—

"(1A) Leave not due may also be granted to such of the temporary employees who are suffering from T.B., Leprosy, Cancer or mental illness, for a period not exceeding 360 days during entire service, subject to fulfilment of conditions in clauses (a) to (c) of sub-regulations (1) and subject to the following further conditions, namely :—

(i) That the employee has put in a minimum of one year's service;

(ii) that the post from which the employee proceeds on leave is likely to last till his return to duty; and

(iii) that the request for grant of such leave is supported by a medical certificate as envisaged in clause (iii) sub-regulation (2) of regulation 28.

8. (A) Sub-Regulation (3) shall be deleted.

In the said Regulations, in Regulation 28:

(1) In Sub-Regulation 2, the words "or Quasi-permanent employee" appearing in line 2 shall be deleted.

(2) In Clause (1) of Sub-regulation (2), the words 'without medical certificate' shall be deleted.

(3) Clauses (ii) and (iii) of sub-regulation (2) shall be substituted by the following clauses, namely :—

"(ii) Six months where the employee has completed one year's continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these Regulations, including three months extraordinary leave under clause (i) and his request for such leave is supported by a medical certificate as required by these regulations ;

(iii) Eighteen months, where the employee who has completed one year's continuous service is undergoing treatment for.

(B) In sub-clause (a) of clause (iii) of sub-regulation (2), the word 'or' shall be deleted and the following Note shall be inserted below Sub-Clause (a) :

"NOTE :—The concession of extraordinary leave upto eighteen months shall be admissible also to an employee suffering from pulmonary tuberculosis of pleurisy of tubercular origin who receives treatment at his residence under a tuberculosis specialist recognised as such by the State Administrative Medical Officer concerned and produces certificate signed by that specialist to the effect that he is under his treatment and that he has reasonable chances of recovery on the expiry of the leave recommended."

(C) Clause (iv) of Sub-regulation (2) shall be substituted by the following, namely :—

"(iv) twenty four months, where the leave is required for the purpose of prosecuting studies certified to be in the Board's interest, provided the employee concerned has completed three years' continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these Regulations, including three months' extraordinary leave under Clause (1)."

9. In the said Regulations, in Regulation 28, the following sub-regulations shall be inserted below sub-regulation (2) and the existing sub-regulations (3) and (4) shall be re-numbered as sub-regulations 4 and 5.

"(3)(a) Where an employee is granted extraordinary leave in relaxation of the provisions contained in clause (iv) of sub-regulation (2) he shall be required to execute a bond in Form 10 undertaking to refund to the Board the actual amount of expenditure incurred by the Board during such leave plus that incurred by any other agency with interest thereon in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave or quitting the service before a period of three years after return to duty.

(b) The bond shall be supported by sureties from two permanent employees having a status comparable to or higher than that of the employee. In the said Regulations, in sub-regulation (1) of Regulation 30, the words "the day preceding" shall be deleted.

10. In the said Regulations, in Regulation 31,

(1) In sub-regulation (2)(a) for the words "cash equivalent of leave salary for leave" the words "cash equivalent of leave salary for earned leave" shall be substituted.

(2) In Clause (b) of sub-regulation (2) and in sub-regulation (5), the words "No House Rent Allowance or City Compensatory allowance shall be payable" shall be .inserted at the end.

(3) Sub-regulation (3) shall be substituted by the following namely :—

"(3) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of an employee who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the opinion of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings against him and he will become eligible to the amount so withheld after adjustment of Board's dues, if any."

(4) The second proviso below Sub-regulation (5) shall be deleted.

(5) The following Sub-regulation (5-A) shall be inserted below sub-regulation (5).

"(5-A) Where an employee is compulsorily retired as a measure of penalty under the provisions of the CPE (CC & A) Regulations, 1964 and the disciplinary authority has not imposed any reduction in the amount of his pension (including gratuity) under Rule 40 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the authority competent to grant leave shall suo motu issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at credit of the employee on the date of such retirement, subject to a maximum of two hundred and forty days in the manner indicated in Clause (b) of Sub-regulation (2)."

(6) In Clause (iii) of Sub-Regulation 6(a), the words "including the period for which encashment was allowed at the time of retirement" shall be inserted at the end.

(7) Clause (b) of Sub-regulation (6) shall be substituted by the following, namely :—

"(b) The cash equivalent payable under clause (a) shall be caculated in the manner indicated in clause (b) of Sub-regulation (2) and for the purpose of computation of cash equivalent under Sub-Clause (iii) of Clause (a), the pay on the date of termination of re-employment shall be the pay fixed in the scale of post of re-employment before adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits and the dearness allowance appropriate to that pay."

11. In the said Regulation, the following may be inserted as Heading to Regulation 31-A.

"31-A: **Cash equivalent of Leave Salary in case of Invalidation.**"

12. In the said Regulations, for Regulation 32, the following Regulation shall be substituted, namely :—

"32. **Cash equivalent of Leave salary in case of death in service:** In the event of the death of an employee while in service, the cash equivalent of the leave salary that the deceased employee would have got had he gone on earned leave that would have been due and admissible to him but for the death on the date immediately following the death and in any case, not exceeding leave salary for 240 days, shall be paid to his family in the manner specified in Regulation 32-'A', without any reduction on account of pension equivalent of death-cum-retirement gratuity.

32-A: **Payment of cash equivalent of leave salary in case of death, etc. of an employee.**

In the event of the death of an employee while in service or after retirement or after final cessation of duties but before actual receipt of cash equivalent of leave salary payable under regulation 31, 31A and 32 such amount shall be payable.

(i) to the widow, and if there are more widows than one, to the eldest surviving widow if the deceased was a male employee, or to the husband if the deceased was a female employee.

Explanation : The expression "eldest surviving widow" shall be construed with reference to the seniority according to the date of the marriage of the surviving widows and not with reference to their ages;

2282 GI/96-3

(ii) failing a widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son, or an adopted son;

(iii) failing (i) and (ii) above, to the eldest surviving unmarried daughter;

(iv) failing (i) to (iii) above, to the eldest surviving widows daughter;

(v) failing (i) to (iv) above, to the father;

(vi) failing (i) to (v) above, to the mother;

(vii) failing (i) to (vi) above, to the eldest surviving brother below the age of eighteen years;

(viii) failing (i) to (vii) above, to the eldest surviving unmarried sister; and

(ix) failing the above, to the eldest surviving widowed sister.

In cases where none of the above claimants is available, the cash equivalent of leave shall be paid to the eldest surviving married daughter and failing that to the eldest child of a pre-deceased son of the deceased employee;"

13. In the said Regulations, in Sub-regulation (5) of Regulation 33.

(1) the words "or is granted cash equivalent under clause (b) of sub-regulation (6) of Regulation 31" shall be deleted.

(2) the note below Sub-regulation (5) shall be deleted.

(3) The following Sub-regulation shall be inserted as Sub-Regulation (6).

"(6) (a): If, in the case of an employee who retires or resigns from the service, the leave already availed of is more than the credit so due to him necessary adjustment shall be made in respect of leave salary, if any, overdrawn.

(b) Where the quantum of earned leave already availed of by an employee who is dismissed or removed from service or who dies while in service is in excess of the leave at credit under Clause (ii) (b) of sub-regulation 4 of regulation 24, the over-payment of leave salary shall be recovered in such cases.

14. In the said Regulation, Regulation 35 shall be substituted by the fodllowing, namely :—

"35. **Advance of leave salary:**

An employee, including an employee on foreign service, proceeding on leave for a period not less than thirty days may be allowed an advance in lieu of leave salary upto a month's pay and allowances admissible on that leave salary subject to deductions on account of Income Tax, Provident Fund, House Rent, Recovery of Advances, etc. and subject to the following conditions;

(i) the amount of the advance shall be restricted to the net amount of leave salary for the 1st month of leave that is clearly admissible after deduction on account of Income Tax, Provident Fund, House Rent, repayment of advances etc. so that there is no financial risk involved;

(ii) the advance should be adjusted in full in the leave salary bill in respect of the leave availed of. In cases where the advance cannot be so adjusted in full, the balance will be recovered from the next payment of pay or and leave salary;

(iii) the advance may be sanctioned by the Chairman/Dy. Chairman, Head of Department or Head of Office;

(iv) advance in respect of a temporary employee shall be sanctioned on his furnishing the surety of a permanent employee;

(v) the amount of advance shall be debited to the head of account to which the pay etc. of the employee is debited.

15. In the said Regulations, Regulation 36 shall be substituted by the following, namely :—

"36. **Maternity leave :**

(1) A female employee (including an apprentice) with less than two surviving children may be granted maternity leave by an authority competent to grant leave for a period of 90 days from the date of its commencement.

(2) During such period she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) (a) Maternity leave not exceeding 45 days in the entire career may also be granted to a female employee (irrespective of number of surviving children) in case of miscarriage, including abortion on production of medical certificate as laid down in Regulations 16 and 17 and also in cases of abortion induced under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

(b) In calculating the number of days of Maternity leave for such miscarriage/abortion, the maternity leave so availed of in the past prior to the date of this notification should not be taken into account.

(4) (a) Maternity leave may be combined with leave of any other kind.

(b) Notwithstanding the requirement of production of medical certificate contained in Sub-regulation 1 of Regulation 27 or Sub-regulation 1 of Regulation 28, leave of the kind due and admissible (including commuted leave for a period not exceeding 60 days and leave not due) upto a maximum of one year may, if applied for, be granted in continuation of maternity leave granted under Sub-regulation (1).

(5) Maternity leave shall not be debited against the leave account."

16. Regulation 36 (A) shall be inserted below Regulation 36.

"36 (A). **Leave to a female employee on adoption of child :** A female employee on her adopting a child, may be granted leave of the kind due and admissible (including commuted leave without production of medical certificate for period not exceeding 60 days and leave not due) upto one year subject to the following conditions.

(i) The facility will not be available to an adoptive mother already having two living children at the time of adoption.

(ii) The maximum admissible period of leave of the kind due and admissible will be regulated as under :—

(a) If the age of the adopted child is less than one month, leave upto one year may be allowed;

(b) if the age of the child is six months or more, leave upto 6 months may be allowed:

(c) if the age of the child is 9 months or more, leave upto 3 months may be allowed.

17. In the said Regulations, for Sub-regulation (5) of Regulation 41, the following Sub-regulation shall be substituted, namely :—

"5. Study leave may be granted to an employee :—

(i) who has satisfactorily completed period of probation and has rendered not less than five years regular continuous service including the period of probation under the Board;

(ii) who is not due to reach the age of superannuation from the Board's service within three years from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of the leave; and

(iii) who executes a bond as laid down in Regulation 45 (2) undertaking to serve the Board for a period of three years after the expiry of leave.

18. In the said Regulations, in Regulation 42, in Clause (a) of Sub-regulation (1), the words "which shall not be exceeded save for exceptional reasons" shall be deleted.

19. In the said Regulations, in Regulation 48, Sub-regulation (i) and Clause (a) of Sub-regulation (2) shall be substituted by the following :—

"(1) During study leave availed outside India, an employee shall draw leave salary equal to the pay that the employee will draw while on duty with the Board immediately before proceeding on such leave and in addition the dearness allowance, house rent allowance and study allowance as admissible in accordance with the provisions of Regulations 49 to 52.

(2) (a) During study leave availed in India, an employee shall draw leave salary equal to the pay that the employee drew while on duty with the Board immediately before proceeding on such leave and in addition the dearness allowance and house rent allowance as admissible in accordance with the provisions of Regulation 52.

20. In the said Regulations, for Regulation 52, the following Regulation shall be substituted :—

"52. **Admissibility of allowances in addition to Study allowance.**

(1) For the first 180 days of study leave, house rent allowance shall be paid at the rates admissible to an employee from time to time at the station from where he proceeded on study leave. The continuance of payment of house rent allowance beyond 180 days shall be subject to the production of certificate as prescribed in para 8(d) of Ministry of Finance O.M. No. 2(37)-E II (B) 64, dated 27-11-1965.

(2) Except for house rent allowance as admissible under Sub-regulation (1) and the dearness allowance and the study allowance where admissible. no other allowance shall be paid to an employee in respect of the period of study leave granted to him."

21. In the said Regulations, in Notes 2 and 3 below form 2, for the words "fraction of a day will be rounded off to one day", the words "fraction of a day will be rounded off to the nearest day", shall be substituted.

22. In the said Regulations, in Forms 6, 7, 8 and 9 after the words "or termination of the period of study leave", the words "or failing to complete the course of study" shall be inserted.

23. In the said Regulations, in Regulation 55,

(1) for the heading of Sub-regulation (i) after the words "study leave" the words "or non-completion of the course of study" may be inserted and for sub-regulation (1) excluding clauses (i) & (ii) thereunder, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(1) If an employee resigns or retires from service or otherwise quits service without returning to duty after a period of study leave or within a period of three years after such return to duty or fails to complete the course of study and is thus unable to furnish the certificates as required under sub-regulation 3 of Regulation 45 he shall be required to refund:"

(2) The proviso below sub-regulation (1) shall be substituted by the following, namely :—

"Provided that except in the case of employees

who fail to complete the course of study nothing in this regulation shall apply—

(a) to an employee who. after return to duty from study leave, is permitted to retire from service on medical grounds, or

(b) to an employee who, after return to duty from study leave, is deputed to serve under the Govt. of India or any statutory or autonomous body or institution under the control of the Government and is subsequently permitted to resign from service under the Board with a view to his permanent absorption under the Govt. of India or statutory or autonomous body or institution in the public interest."

[F. No. PR-12016/37/95-R.E. I]

A. K. RASTOGI, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—The principal regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 217 dated 10-2-79 and subsequently amended vide.

1. G.S.R. No. 129 (E) dated 26-12-86
2. G.S.R. No. 75 (E) dated 17-02-93

Form 10

[See Regulation 28 (3)]

BOND FOR TEMPORARY EMPLOYEES GRANTED EXTRAORDINARY LEAVE IN RELAXATION OF REGULATION 28 (2) (IV) FOR STUDY

Know all men by these presents that we ....residents of ....in the district of ....at present employed as............................in the Department/Office of..........................(hereinafter called "the Obligor") and Shri/Shrimati/Kumari............................. son/ daughter of ....and Shri/Shrimati/ Kumari..........................son/daughter of.......................... of ....(hereinafter called "the sureties") do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators, to pay to the Board of Trustees, Cochin Port Trust and assigns (hereinafter called the "Board") on demand the sum of Rs......................(Rupees....................) together with interest thereon from the date of demand at rates prescribed by the Board for the time being in force on loans granted by the Board or, if the payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India and together with all costs between the attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Board.

Whereas the Board has at the request of the above bounden Shri/Shrimati/ Kumari.. employed as a .... granted him/her regular leave, followed by extraordinary leave without pay and allowances, for a period of ....months .... days............................with effect from..................................in order to enable him/her study at............................

And whereas the Board has appointed/will have to appoint a substitute to perform the duties of........................ during the period of absence of ....Shri/Shrimati/ Kumari .... on extraordinary leave.

And whereas for the better protection of the Board, the obligor has agreed to execute this bond with two sureties with such condition as hereunder written.

And whereas the said sureties have agreed to execute this bond as sureties on behalf of the bounden......................

Now the condition of the above written obligation is that in the event of the above bounden, Shri/Shrimati/ Kumari............................failing to rejoin on the expiry of the period of extraordinary leave, the post originally held by him/her and serve the Board after rejoining for such period not exceeding a period of .... years as the Board may require or refusing to serve the Board in any other capacity as may be required by the Board on a salary to which he/she should be entitled under the rules, the said Shri/Shrimati/Kumari..........................as his/her executors and administrators shall forthwith pay to the Board on demand the said sum of Rs.......................... together with interest thereon from the date of demand at rates prescribed by the Board for the time being in force on loans granted by the Board.

And upon the obligor Shri/Shrimati/Kumari................ ....and or Shri/Shrimati/Kumari..................... ....and, or Shri/Shrimati/Kumari................... .... the sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in force and virtue:

Provided always that the liability of the sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Board or any person authorised by them (Whether with or without the consent or knowledge of the sureties) nor shall it be necessary for the Board to sue the obligor before suing the sureties Shri/Shrimati/Kumari .... and Shri/ Shrimati/Kumari.................................. or any of them for amounts due hereunder.

The bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and dated this..day of ....one thousand nine hundred and.........................

Signed and delivered by the obligor above named Shri/Shrimati/Kumari.. in the presence of..

Witnesses : 1. ....

2. ....

Signed and delivered by the surety above named Shri/Shrimati/Kumari.. in the presence of..

Witnesses : 1. ....

2. ....

Signed and delilvered by the surety above named Shri/Shrimati/Kumari... in the presence of.. ....

Witnesses : 1. ....

2. ....

ACCEPTED

For and on behalf of the Cochin Port Trust.

2282-GI/96-4

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996